कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13 ई0 5(10)/2016 - 604 दिनांक- 07/03/17

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विशय :- **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आन्नद अपर्णा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :- **आपका पत्रांक 596 दिनांक 06.02.2017**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा निम्नलिखित त्रुटियाँ पृच्छित किया गया है:-

1. जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 13 दिनांक 04.01.2016 द्वारा खनन पट्टा के स्वीकृति के पूर्व 16 शर्तों का उल्लेख किया गया है। जिसमें शर्त संख्या-1 में पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) का प्रमाण पत्र दाखिल करने हेतु प्रयोक्ता संस्थान को निदेशित किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
2. विषयक प्रस्ताव पत्थर खनन से संबंधित है। उपायुक्त हजारीबाग द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र का Annexure-I एवं Annexure_II दोनों निर्गत किया गया है जो विरोधाभाष उत्पन्न करता है।
3. FRA के ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है, जिसमें जिला वनाधिकार समिति के सभी पदाधिकारी/सदस्यों का हस्ताक्षर अंकित हो।
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल के ज्ञापांक 1357 दिनांकक 13.04.2016 से यह स्पष्ट नहीं है कि अतिक्रमण रहित है या नहीं।

अतएव प्रस्ताव की आठ मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर आठ प्रतियों में प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन

7/3

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबागण

\\India\d\CFH\F.C. Act\13-E-5-11-2016.docx